- 1 -

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R - 1175 - II/14

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभि॰ द्वारा आज दि. 9-4-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Presented by me
Vinod Shrivastava Ad.
9-4-2014

म.प्र. शासन जर्ये ग्राम पंचायत भगुवापुरा जनपद पंचायत सेवढा जिला दतिया द्वारा सरपंच मीरा

.... आवेदक

बनाम

1. हरविलास पुत्र श्री शिवचरण
2. कैलाश पुत्र श्री शिवचरण
3. राजेश पत्र श्री शिवचरण
4. बलू पुत्र श्री कुंजी किरार
   समस्त निवासीगण – भगुवापुरा तहसील सेवढा जिला दतिया म.प्र.
5. कलेक्टर जिला दतिया म.प्र.
6. अनुविभागीय अधिकारी सेवढा जिला दतिया म.प्र.
7. तहसीलदार , सेवढा जिला दतिया म.प्र.

.... अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार सेवढा जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 60/ बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4.5.2013 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 (1) के अधीन निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 1175–दो/2016 जिला – दतिया

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार सेवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण कमांक 60/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.05.13 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 13/05/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 13/5/19 **कलेक्टर जिला दतिया**	